

## उत्तर ग्रादेश शारान

वित्त (रामगान्धी) अनुगाम-2

संख्या जी-2-573 / दरा-2009-216-79

लखनऊ, दिनांक 24 मार्च, 2009

### कार्यालय-ज्ञाप

विषय—चाल्य देखभाल अधकाश राथा दराक प्रहण अधकाश की अनुगम्यता के सामने में शर्तों का निर्धारण।

उपर्युक्त विषय पर आदोहरतादारी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि शारानादेश संख्या जी 2-2017 / दरा-2008-216-79, दिनांक 8 दिसावर, 2008 के अनुसार महिला सरकारी सेवक को, वह यह स्थानी हो अथवा अरथात्, बाल्य देखभाल अधकाश राथा दराक प्रहण अधकाश अनुगम्य कराया गया है। संदर्भात् अधकाशों की रसीदृति के सामने में शर्तों निम्नलिख हैं :—

#### बाल्य देखभाल अधकाश

(I) बाल्य देखभाल अधकाश अधिकार के रूप में नहीं गाना जा सकेगा। कोई कर्मचारी विना पूर्ण रसीदृति के, बाल्य देखभाल अधकाश पर नहीं जा सकेगा।

(II) बाल्य देखभाल अधकाश उपार्जित अधकाश की भाँति गाना जायेगा और उसी तरह रसीदृति किया जायेगा।

(III) उपार्जित अधकाश की भाँति बाल्य देखभाल अधकाश के ग्राम पड़ने वाले सार्वजनिक अधकाशों को बाल्य देखभाल अधकाश में समिलित गाना जायेगा।

(IV) बाल्य देखभाल अधकाश तभी अनुगम्य होगा जब सामन्धित महिला कर्मचारी के लेखे में उपार्जित अधकाश अवशेष न हो।

दराक प्रहण अधकाश

(1) ऐसे महिला सार्वजनिक सेवक जिनके दो रो काम वर्च्चे राजित हों एवं जिनके द्वारा एक वर्ष की आमतक का बच्चा गोद लिया गया हो, को सामान्य गांताओं को प्रदत्त प्रसूति अधकाश की भाँति 180 दिन के दराक प्रहण अधकाश (Child Adoption Leave) की गुविधा प्रदान की जायेगी। प्रसूति अधकाश एवं दराक प्रहण अधकाश की बड़ी हुयी अवधि का लाग उन महिला कर्मचारियों को भी देय होगा जो दिनांक 1 दिसावर, 2008 को प्रसूति अधकाश का उपयोग कर रही थी।

(2) महिला सार्वजनिक सेवक को उक्त अधकाश अवधि के दौरान यह पूर्ण वेतन देय होगा जो वह अधकाश पर जाने के दिनांक को आहरित कर रही है।

(3) दराक प्रहण अधकाश किसी अन्य प्रकार के अधकाश के साथ मिलाया जा सकता है।

(4) दराक प्रहण अधकाश के निरन्तरता में महिला सेवकों को यदि आयोदन किया जाता है, तो वहनीं और पर गोद लिये जाने के दिनांक को वर्च्चे की आम पटाते हुये अधिकतम् एक वर्ष की अवधि तक का उसे देय एवं अनुगम्य अन्य अधकाश, जिन दराक प्रहण अधकाश की अवधि को जोड़े, जिन प्रतिवंधों के साथ रसीदृति किया जा सकेगा :—

(क) यदि यिसी महिला सेवक को गोद लेने के सन्य दो या अधिक जीवित वर्च्चे हों, तो यह अधकाश उसे रसीदृत नहीं किया जायेगा।

(ख) उपरोक्त एक वर्ष की अवधि के अधकाश की गणना निम्न उदाहरण के अनुसार होगा :—

(व) दराक प्रहण अधकाश पर वर्च्चे की आम एक गाह से काम होने पर एक वर्ष तक का अधकाश रसीदृत किया जा सकता है।

(अ) वर्च्चे की आम छः गाह या अधिक प्रस्तु लागत माटे से काम होने पर ही गाह तक का अधकाश रसीदृत किया जा सकता है।

(ज) चच्चे की आयु नो गाह या अधिक परन्तु दस गाह से कम होने पर तीन गाह तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(5) दत्तक ग्रहण अवकाश को छुट्टी के लेखे के नाम नहीं लिखा जायेगा।

2-जिन मंहिला कर्मचारियों को शर्तों के अभाव में शासनादेश दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के अनुपालन में, बाल्य देखभाल अवकाश तथा दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है उनके बाल्य देखभाल अवकाश तथा दत्तक ग्रहण अवकाश को उन्हें देय समर्जित अवकाश में परिवर्तित गाना जायेगा।

3-शासनादेश रांख्या जी-2-2017 / दस-2008-217-79, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

4-उपर्युक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होंगे।

5-संगत अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासाध्य विज्ञा जायेगा।

आज्ञा से,

अनूप गिश्र,

प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

समस्त विभागाध्याद एवं प्रमुख कार्यालयाध्याद,  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या जी-2—573(1)/दस-2009-216-79, तददिनांक

प्रतिलिपि निन्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित :-

- 1—गहालेखाकार, आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2—गहालेखाकार, लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ० प्र०, लखनऊ।
- 5—सचिवालय के समरत अनुभाग।
- 6—वित पद माप दण्ड विधारण अनुभाग।

आज्ञा से,

वी० एन० दीक्षित,

सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 15२ रा० वित्त-26-3-2009-(2362)-10,000 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/आफरोट)।

J-1716

क्र. २०१

प्रदूषित वायरस | ८४

उत्तर प्रदेश शारीर  
वित्त (राजगांव) अनुभाग-२  
रायगढ़ा-जी-२-२०१७ / दस-२००८-२१६/७९  
लखनऊ: दिनांक: ०८ दिसम्बर, २००८

कार्यालय-झाप

विषय:- प्रारंभि जनकाश की शीर्णा में वृद्धि तथा बाल्य देखनाल अवकाश की रवैकृति।

कार्यालय-झाप संख्या-रा-४-३९४ / दस-९९-२१६/७९, दिनांक ०४-६-१९९९ द्वारा रख्याई एवं अरधाई गहिला सरकारी रोपणों को १३५ दिन का प्रसूति अवकाश रवैकृति विधा गया था। वेतन शपिति २००८ की संरक्षितों पर प्रसूति अवकाश की अवधि १३५ दिन से बढ़ाकर १८० दिन किए जाने का नियम लिया गया है। इसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरक्षितों यथा चौपाई तथा परीक्षा आदि में देखनाल हेतु सांतान की उम्र १८ वर्ष होने की अवधि तक गहिला सरकारी रोपण को सम्पूर्ण रोपणात्म में अविकाश दो वर्ष (७३० दिन) का बाल्य देखनाल अवकाश (Child Care Leave), अनुमत्य कराने वाली व्यवस्था प्रसूति अवकाश के रूपमें लागू अन्य शर्तों एवं प्रतिक्रियों के अलावा इसे दुप भी गयी है। यह दोनों व्यवस्थायें गोद लो गयों शांतान के भाग्यों में भी उसी प्रकार लागू करने वाली निष्ठा दिया गया है।

२- अतः श्री राजपाल गहोदय संघांगता कार्यालय झाप दिनांक ०४-६-१९९९ को अंतिकार्य वारसे दुप प्रसूति अवकाश के संबंध में वित्तीय हरतपुरिताका खण्ड-२, गाँ-२ से ४ को सांस्कृतिक नियम-१५३(१) को अधीन राष्ट्रपूर्ण रोपणात्म में दो बार तक, लागू अन्य शांता एवं प्रतिक्रियों के अधीन प्रयुक्ति अवकाश, अवकाश प्रारम्भ होने की तिथि से १३५ दिन से बढ़ाकर अधिकात्म १८० दिन करने तथा विशिष्ट प्रतिरक्षितों यथा शांतान की वीमानी अवधि परीक्षा आदि में १० वर्ष की आयु तक देखनाल हेतु गहिला सरकारी रोपण को सम्पूर्ण रोपणात्म में अविकाश दो वर्ष (७३० दिन) का बाल्य देखनाल अवकाश अनुमत्य कराये जाने वाली सहज रवैकृति प्राप्ति गरते हैं। यह दोनों व्यवस्थायें (प्रसूति अवकाश एवं बाल्य देखनाल अवकाश) गोद लो गयों शांतानों के भाग्यों में भी लागू होगी।

३- उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं साहाय्या प्राप्त शिक्षण/आविष्कार शिक्षण रांगधारों के गहिला शिक्षार्थी (यूजी०री०, ए०आई०री०डी०८०, आ०८०री०ए०आर० वेतनामानों से आधादित पदों को छोड़कर) एवं साहाय्या प्राप्त शिक्षण रांगधारों की शिक्षाप्राप्ति गहिला कर्त्तव्यारियों को लिए भी लागू होगी।

उक्त नियम की अन्य शर्तों यथावत् प्राप्त होती हैं।

उपर्युक्त आदेश दिनांक ०१ दिसम्बर, २००८ से प्रभावी होगा।

रांगता अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय दिया जायेगा।

फूट (छ)

(अनूप. पिश्च)

प्रगृह्य सचिव

रोपण में

रामरस्त विभागाव्याप्त एवं प्रागुच्छ कार्यालयाव्याप्त,  
उत्तर प्रदेश।

थपर पुलिस महानिवेदनक  
प० प० पुलिस पुलिस  
झापाल्य  
१६/१८/०८

कार्यालय-झाप

संखा-ची-2-2017(1) / दरा-2008-216 / 79 तात्परिनाम

प्रतिलिपि नियन्त्रित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यकारी हेतु प्रधित :-

- 1- महाराष्ट्रायाचार, आळिट प्रशांग एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महाराष्ट्रायाचार, लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- प्रगुण संधिय, विधान रागा / विधान परिपद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- निदेशक, विस्तीय प्रयान्ध, प्रशिक्षण एवं शोध राज्यान, ८०प्र०, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, ८०प्र०।
- 6- निदेशक, अधिकार पुनरीक्षण घूरे, वित्त विभाग, लखनऊ।
- 7- राजिवालय के रामस्त अनुगाम।
- 8- वित्त (वित्त आयोग) अनुगाम-१/२ ( तीन प्रतियों में )
- 9- गाउँ फ़र्मेल।

आज्ञा से

( शिव प्रकाश )  
विशेष राजित।

## अध्याय 13

### प्रसूति अवकाश

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री नियम 10। एवं अन्वयित राज्यालय द्वारा सनारे गए नियम

प्र 153—**प्रसूति यजिता राज्यालय सेवक चोर, चाटे यह खानी से या अवश्य, प्रसूति अवकाश ऐसे मूर्ख वाले पर जो यह दृग् ५ रुपये के अवश्यक नहीं जाने जोः नियमः न। आद्यता चार रुपये वे नियमालयास द्वारा या कर्तव्य प्रसूतियाली द्वारा जो इस नियमा शामिल प्रत्योक्षित चोर द्वारा निवालिकालिका के ३ बीते रखे हुए, स्थीकृत केत्र जा सकता—**

१—प्रसूतियालय के भाग्यालय में, प्रसूति अवकाश अवधि अवश्यक राज्यालय के प्राप्ति के उत्ताक रो तीन मास तक ही सकती है।

प्रत्यु इस अवकाश सम्पूर्ण सेवा के द्वितीय नियम के अन्वयित अवश्यकीय सेवा भी है, तीन बार से अधिक स्थीकृत गई, किया जायेगा—

प्रत्यु यह भी कि चार्दि प्रतिदिन सेवक के ही या अधिक गीता भंडे हों तो उसे प्रसूति अवकाश स्थीकृत नहीं किया जायेगा भले ही उसे एक अवश्यक अवश्यक नहीं हो। यिन गीतों नाटक राज्यालय सेवक के ही अधिकारी वर्षों में भी चर्चे भी जल्द चार ये नियमी अवश्यक हो या। उत्तमं या अपेक्षा ही या यद्यमें नियमी अवश्यक रोपा ही मन्त्र लो जल्द या विवलाहं हो जाए तो उसे अवकाश के रूप में इस शर्त पर कि प्रसूति अवकाश सम्पूर्ण करने के लिया लेने नारे रो अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा, एक बच्चा और पैदा होने वाले प्रसूति अवकाश स्थीकृत किया जा सकता है।

प्रत्यु यह भी कि दूसरा अवकाश उपर तक अध्युपाय गाया होगा। जब तक ।। इस नियम के अधीन प्रसूति द्वारा प्रसूति वा अवश्यक समाप्ति के द्वितीय सेवा से राम भी सभी चोर व अल्पता न हो जाए।

२. नियम के माध्यम से, नियम के अन्वयित यार भी १, २ या अवश्यक अवधि अवश्यक सेवा के अन्वयित व उसे उपर तक राज्यालय के द्वितीय अवश्यक अवकाश पर रुपये ३, राज्यालय के द्वितीय अवश्यक अवकाश पर रुपये ५, राज्यालय के द्वितीय अवश्यक अवकाश पर रुपये ७ हो।

**नियमों : १—नियम १ की गोपी।**

नियमों : २—मुख्यमंत्री की वित्तीय से, नियम पर जो ।। इसी दीमा अवधि रुपये १९४० के अवश्यक रुपये ३, इस नियम के अन्वयित दृग् ५ रुपये वेतन से उठा जो नियम के अधीन अवश्यक अवधि के लिये अवश्यक राज्य वर्ते भवत्वात् कोर अपर दिया जायेगा।

नियमों : ३—मुख्यमंत्री वित्तीय सामाजिक अधिकारियों, २७१ के अधीन उत्तर राज्यालय का मामला समाज जाल कविता।

मामलादेश संघ ३०-४-१२०५/३१८। २१६/१९७९ दिनांक : जुलाई १९८१ होप। यह राज्यालय अनुभाग-५ ने नियम नियम संघ २ भी ४ के सहायक नियम १५३ राजा १५४ में आव. तात संशोधन के आदेश उपरित दिये जो नियमीकृत है—

ग्रामपाल जालालय उपराज्यकालीन नियम ३०-४-१७५३/दस ७०-२ ६-६५, दी० १००, नामांक २० जून, १९७३ द्वारा महिला सारकारी सेवकों को स्वीकार, जिन्होंने जारी करायी हैं। यही अवकाश संवर्धनी नि. जोनों वाला उदार दिया गया है और वित्तीय नियम दीप्त, यह २ राजा २ से वे के राजाना। नियम १५३ राजा १५४ में अवश्यक संरोधन के आदेश उपरित नियम दीप्त है। उक्त आदेशों और नियमों के अन्वयित आव. प्राच. जूनों के अधीन रहते हुए, महिला सारकारी सेवकों को सम्पूर्ण सेवावाली में तीन बार राजा ३०-१० ग्रामपाल स्थीकृत किया जा सकता है।

१. अधिकारियों संघ ३०-४-४४१/दस १०-२-१५-७९ दिनांक ३-५-१९८० राज्यालय प्रतिवेदित।

२—प्रभोहस्तानी या याद कहने पर लिखा हुआ है कि उन्हें कार्यालय जान, दिनांकित २३ जून, १९७३ के अनुकूल में समाप्ति भवित्व के लिए वह आदेश प्रदान किये हैं कि यदि किसी महिला सरकारी सेवक के द्वारा सेवा संबंधी चालाकता ही है तो उसे उन्हें अवकाश स्वीकार नहीं किया जायेगा, भले ही उसे अन्यथा इसी अवकाश देना है। किन्तु प्रतिवर्ष वह होगा कि यदि किसी महिला सरकारी सेवक की जीवित दंतों जलातीं थीं तो उसे सरकार जन से ही विकलांग/असंगु हो अथवा बाद में किसी असाध्य रोग से ग्रसित हो जाये हो तो उसी स्थिति में उसे उन्हीं देवायज्ञन में तोत बार जी अधिकारप्राप्त सीना के अधीन रहते हुए एक और बच्चा होने तक उन्हीं भवित्व का अवकाश देवायज्ञन स्वीकृत किया जा सकता है।

३—उक्त अदेश उन कार्यालय जाप के यारो होने के दिनांक से लगू होंगे, किन्तु जिन मामलों में इससे पहले वर्तमान नियमों में अनुगत प्रस्तुति अवकाश स्वीकार किया जा चुका है उन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

१५४. प्रस्तुति सुदूरी की सुदूरी के द्वारे के नामे नहीं लिखा जायेगा और उसे किसी भी अन्य उक्तार की सुदूरी के सब नियमों का समान है किन्तु प्रस्तुति सुदूरी के जन में प्रार्थित कोई भी सुदूरी द्वारा स्वीकृत की जा सकती है जब प्रार्थना-पत्र के जनर्थन में चिकित्सा प्रमाण-पत्र हो।

टिप्पणी १—प्रस्तुति सुदूरी के जन में सुदूरी देने के लिए प्रार्थना-पत्र देने वाली किसी महिला राजपत्रित सरकारी कर्मचारी द्वारा चाहिए कि वह उन सभत्व राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के समान जो चिकित्सा प्रमाण-पत्र के अन्तर में सुदूरी का प्रार्थना-पत्र देते हैं, सहायक नियम ४९-९२ के अनुतार किसी राजपत्रित समान जो सभत्व प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर, यदि उस पर सुदूरी स्वीकृत भरो के लिए कृपया अदिकारी द्वारा सहायक नियम ९३ के अन्तर्में उसे छोड़ न दे दी जाए।

टिप्पणी २—प्रस्तुति सुदूरी के जन में नियमेतत् सुदूरी भी नवजात शिशु की योनारी की दशाओं में इस प्रतिवर्ष के अधीन उसे हुये स्वीकृत की जा सकती है कि नविहिता सरकारी कर्मचारी, प्रार्थित चिकित्साधिकारी या इस सभत्व का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर, कि योनारी शिशु को उसकी माता की व्यक्तिगत देखभाल जी अवश्यकता है और शिशु के चल उनकी उपस्थिति नियंत्रण आवश्यक है।

टिप्पणी ३—अन्यकारी सरकारी कर्मचारियों की दशा में, नियम १५३ और १५४ के अधीन स्वीकृत की नई सुदूरी की अवधि उनको नियुक्त यारो रहने की जनर्थन अवधि तक अधिक न होगी।

१५४. Maternity leave shall not be debited against the leave account and may be combined with leave of any other kind, but any leave applied for in continuation of maternity leave may be granted only if the request is supported by a medical certificate.

Note 1. A female gazetted government servant applying for grant of leave in continuation of maternity leave, should, like all gazetted government servants applying for leave on medical certificate produce the required certificate from a medical committee in accordance with Subsidiary Rules 49-92, unless this requirement is relaxed under Subsidiary Rule 93 by the authority competent to grant leave.

१५४. Maternity leave shall not be debited against the leave account and may be combined with leave of any other kind.

Note 1. Deleted.

स्त्री १

स्त्री २

Note 2. Regular leave in continuation of maternity leave may also be granted in case of illness of a newlyborn baby subject to the female government servant producing a medical certificate from the Authorised Medical Attendant to the effect that the ailing baby warrants the mother's personal attention and that her presence at the baby's side is absolutely necessary.

Note 3. In the case of temporary government servants the leave granted under Rule 153 and 154 shall not extend beyond the period the appointment is likely to last.

Note 2. Regular leave in continuation of maternity leave may also be granted in case of illness of a newlyborn baby subject to the female government servant producing a medical certificate from the Authorised Medical Attendant to the effect that the ailing baby warrants the mother's personal attention and that her presence at the baby's side is absolutely necessary.

Note 3. In the case of temporary government servants the leave granted under Rule 153 and 154 shall not extend beyond the period the appointment is likely to last.